

(11)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

सुनं 116/16 तारीख रज् 6/1/16

उनवान - रामजी लाल बर्नाम जिला कलेक्टर

दावा बाबत इन्द्राज दुरही घोषणा खोतदारी

वादी की ओर से श्री विजय भारती Adv. ने दावा बाबत इन्द्राज दुरही घोषणा खोतदारी चारा 88, 136 पेश किया। आपपत्र के जमा बन्दी का अवलोकन किया। दावा दर्ज शीघ्र कर प्रतिवादी को जीरे से सम्मन से तालब किया जाकर दि. 26.1.16 को पेश हो।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

17/1/17 पत्रावली तारीख पेशी से गिरी हुई है सम्मन जारी होकर दि. 24.1.17 को पेश हो।

24.1.17

पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 20.2.17 को पेश हो।

20.2.17

पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 22.3.17 को पेश हो।

22.3.17

वादी वकील उप। सरमा की ओर से चैरोकप सरमा उप। जब्त पेश करने दि. 19.4.17 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
19.4.17	<p>वकुलाय उप.) जबब पेश पुनः समय-पारा। पपमि समय पहले ही दिचा जाता की एक मोरा डौर जबब पेश करने दिचा जाता की दि. 17.5.17 को पेश हो।</p>
12.5.17	<p>पत्रावली पेश हुई। कादिया दिनांक 7.6.17 केम्प कीड में पेश हो।</p>
7.6.17	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके डा (कैम्प जौल में पेश हुई। वादी वकील एवं पैरोका सरका टाहलीलदा (टोडाभीम उपस्थित। पैरोका सरका ने जबब पेश दिचा कि साबिक जमाबंदी सं. 2034-3) के खाता संख्या 269 व जमाबंदी सं. 2038-4) के बरा संख्या 274 में रामजीलाल पुत्र परसादी कोम पत्रा के नाम गैर खातेदारी दर्ज ही उस्त दोमों जमाबंदियों में अंकित नामा संख्या 64 दि. 3.2.76 से पर भूमि सिषाथचक। पारागाह दर्ज हुई है। वर्तमान में भूमि राज्य सरका के नाम दर्ज ही तथा वादी का मोके प् कर्जा ही नहीं है। वादी का दावा खाशिय योज्य की वादी वकील व पैरोका सरका को सुना गया। गुम डोरावली की भूमि खसरांनम्ब 84/1516 रकबा 1.24 है। लिस्म-पारागाह दर्ज है। वादी का मोके प् कर्जा भी नहीं है यह भूमि प्रक में वादी के नाम</p>


प्रायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

गोबरन के बाद गैर खतिदारी दर्ज हुई थी आंपरन
 नेपों के शर्ती बीपालना नहीं होने के कारण वह
 रामे काम संख्या 64 दिनांक 3.2.76 से वापिस चारागाह
 सेवापत्रक दर्ज हो चुकी थी इस प्रकार वादी का दावा को
 यलोप रचना उचित नहीं है तथा खारिज किये जाने
 योग्य है

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है
 नया डिप्टी जारी हो। पत्रावली फंसल शुमा होकर
 अब से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7.6.17 को सुलेखा मालय में
 लिया जाकर कैम्प जेल में सुनाया गया।



(जगदीश आर्य)

उपजिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करोली)